

Regd. Office: D-90, Okhla Industrial Area, Phase - 1 New Delhi - 110020. CIN: L74899DL1992PLC051527. Tel.: +91-11-26818840, 26818642, 26815558, 26815559. Fax: +91-11-26811959, 26817225. Email: info@kei-ind.com Website: www.kei-ind.com

KEI/BSE/2021-22

The Manager, **BSE Limited** Listing Division, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001. Date: 26.08.2021

Sub: Newspaper Publication for the Shareholders of the Company

Dear Sir,

In terms of section 124(6) of the Companies Act, 2013, we are enclosing herewith the Newspaper clippings of the Notice published by the Company for the attention of its Shareholders, titled, NOTICE FOR COMPULSORY TRANSFER OF UNPAID / UNCLAIMED DIVIDEND & EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF). The Company published the advertisement in the following newspapers.

- 1. Business Standard (All editions) in English Language on 26.08.2021.
- Business Standard (Delhi edition) in Hindi Language on 26.08.2021.

This is for the information of the exchange and the members.

Thanking You,

Yours faithfully,

For KEI INDUSTRIES LIMITED

For KEI INDUSTRIES LIMITED

(Kishore Kunal) AVP (Corporate Fihance) & Company Secretary

(KISHORE KUNAL)O.: 9429

AVP (Corporate Finance) & Company Secretary

CC:

Branch

The National Stock Exchange of India Ltd. Listing Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai - 400 051

The Calcutta Stock Exchange Ltd. The Senior Manager, Listing Division, 7, Lyons Range, Kolkata-700001

: Bhiwadi : SP-920, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi, Dist. Alwar-301019 (Rajasthan) Tel : 01493-220106, 221731 Fax: 01493-221732. Works-II Works-III

: Shivassa : 99/2/7, Madhuban Industrial Estate, Rakholi, Silvassa UT of D &N.H-396240. Telefax: 0091-260-2644404, 2630944,2645896

: Chennai : 27/F-1, first floor, Chakrapani Street, West Mambalam, Chennai-600 033 Tel : 044-24803363 Fax : 044-24803404.

: Mumbai : 101/102, Vastu Shilp, Vastu Enclave, Andheri Pump House, Andheri (East), Mumbai-400093. Tel: 0091-22-2823963/28375642, Fax: 28258277

: Kolkata: Arihanth Benchmark, 4th Floor, 113-F, Matheshwartola Road, Kolkata-7000466 Telefax: 033-40620820/4062

3rd wave may not be severe but prepare for worst: Arora

Says booster dose will depend on local context

RUCHIKA CHITRAVANSHI New Delhi, 25 August

ndia may not see a terrible third wave, but it has to prepare for the worst, Narendra Kumar Arora, co-chairman of the Indian Sars-Cov-2 Genomics Consortium — (INSACOG), told Business Standard, Amid concerns around booster shots and fears of a third wave, Arora said decision on such a dose would be taken depending on the local context.

That the US and Israel are giving these shots is noted but our decision will be based on our data. We have suffered Delta already. And Delta has attacked them now," Arora said.

He said the booster dose was dependent on epidemiology of the circulating virus and the intensity of infection. It's also dependent on the durability of protection in the context in which the vaccine is given.

INSACOG is setting up a national vaccine tracker which will make available data on breakthrough infections. "It will be launched soon," Arora said.

The Delta variant, which hit India in the second wave, has been responsible for a lot of breakthrough infections. Whether we are seeing an increase in breakthrough infections in a particular population is also an important factor in booster dose consideration, according to Arora.

While stressing that decisions related to vaccine would be taken on a scientific basis, Arora said published studies of breakthrough infections among health personnel (who were the first to be vaccinated) indicated that such infections were

A study on vaccine efficacy conducted by PGI Chandigarh showed that two doses of Covid vaccine gave 98 per cent protection against the disease. One dose gave 92 per cent protection, according to the study done on Punjab police personnel.

Another study by Christian Medical College, Vellore, found that the risk of infection among the fully vaccinated health care workers was significantly lower than those unvaccinated.

▶ FROM PAGE 1

Biz clubs...

Members are also using these

facilities as a sort of second

office. "The Chambers served

as my office away from office

throughout the pandemic,"

says Sharukh Katrak, manag-

ing partner at Bayarea

Terminals. "Being in the

essential business of logistics,

I went to The Chambers for

important in-person meetings

as and when required. It was

the only place I could trust,

given the high standard of

are now being hosted at these

clubs. Sunil Narang, general

manager of the Four Seasons

Hotel in Mumbai, says "Yes,

we're slowly but surely seeing

a return of smaller events.

We've hosted a few intimate

gatherings at The Club recent-

ly for our members and also

for entrepreneur networking

opening up and gradual ease

of restrictions, we soon hope

to curate bespoke, one-of-a-

kind intimate events for our

members that will enrich their

experience and connect with

Narain says that "in-person

5

6

9

them in meaningful ways."

BS SUDOKU

He adds, "With markets

Events albeit small

sanitisation."



'There is adequate evidence that increase in the gap between the two Covishield doses gives sufficient protection. These things are constantly under watch"

N K ARORA Co-chairman, INSACOG

Focus on vaccinating more, says Guleria

India needs to focus on vaccinating as many individuals as possible, especially those in the high risk category instead of giving booster doses, Randeep Guleria, director at All India Institute of Medical Science, said

He said that there was not enough evidence that a booster dose would be beneficial, "We have not had enough doses to vaccinate everyone and we are thinking of a booster dose...Let us stick to what we know right now," Guleria said. He said, "we will be able to save many lives if we focus on vaccinating more people". Guleria was speaking at a conference organised by the Integrated Health & Wellbeing Council.

Over 600 mn Covid vaccine doses administered in India, says govt

The cumulative number of Covid-19 vaccine doses administered in the country surpassed the 600-million mark on Wednesday, Union Health Minister Mansukh Mandaviya said. "Under PM @NarendraModi ji's #SabkoVaccine MuftVaccine initiative, India crossed the 60 crore vaccination mark

Congratulations everyone!" he tweeted.

India took 85 days to touch the figure of 100 million. It then took 45 days to cross the 200-million mark and 29 more days to reach 300 million, the minister informed.

The country took 24 days to reach 400 million from 300 million and then 20 more days to cross 500 million vaccinations on August 6. It took 19 more days to go past the 60-crore mark, Mandaviya said.

Amid widening gap between the vaccination coverage in wealthy and poorer countries the World Health Organisation had said boosters should be on hold until end of September to ensure at least 10 per cent of the population of every country was vaccinated.

India has so far fully vaccinated around 10 per cent of the total adult population. Less than 24 per cent have received a single dose so far, according to Our World in

INSACOG is keeping a close watch on the gap of 12 to 16 weeks between the two doses of Covishield. "There is adequate evidence that increase in the gap between the two Covishield doses gives sufficient

"so we're staying away from

Top taxpayers...

Even as the new regime aimed

at quicker and effective reso-

lution of cases, some of them

are facing delays and incon-

venience due to the faceless

system, said another official.

for top taxpayers would be tak-

en after weighing the viability

of such a suggestion as some

believe similar flexibility

should be provided to smaller

tax payers, too, one of the offi-

come up too. For example, as

majority of information tech-

nology companies are based

in Bengaluru, officers there are

more equipped to handle

international taxation cases

and those in Mumbai can bet-

ter deal with cases of capital

gains tax. "Due to hands-on

3

4

6

9

3446

Other specific issues have

cials said.

A decision on the flexibility

digital programming".

protection. These things are constantly under watch," Arora said.

There are two types of immunity which the vaccines are providing — visible antibodies and invisible based on memory cell response, Arora pointed out. He said peoole should not rely on antibody tests to find if they have got protection from the vaccine. The B cell and T cell response which refers to long term immunity through the memory cells in the body is measured only in three labs in the country. This test is only available for scientific research purposes.

Arora said it had been found that the Covid vaccines in use produced such long term immunity in people.

Corporate Identification Number: L65921MH1997PLC194571 ce: 213, Bezzola Complex, B Wing, 71, Sion-Trombay Road, Chembur, Mumba Tel No.: +91-22-25292152/54/55 Fax No: +91-22-25297423

SUMMIT SECURITIES LIMITED

NOTICE OF TWENTY-FOURTH ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE is hereby given that the Twenty-Fourth (24th) Annual General Meeting (AGM) of the members of Summit Securities Limited will be held on Friday, September 24, 2021 at 2.00 p.m. (I.S.T.) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") without physical presence of the members at a common venue, to transact the business as set out in the Notice convening the AGM which is being circulated separately.

In view of the continuing COVID-19 pandemic and in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, read with General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and General Circulars Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (*Listing Regulations*) read with SEBI circular dated January 15, 2021 and circular dated May 12, 2020, the AGM of the Company will be held through VC/OAVM without

Further, in compliance with the abovementioned circulars, the AGM Notice together with the Annual Report of the Company for the financial year 2020-21 will be sent through electronic Annual Report of the Company for the manical year 202-21 will be sent through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company /Depositories and/or TSR Darashaw Consultants Private Limited, Registrar and Share Transfer Agents (RTA). The AGM Notice and the Annual Report will also be available on website of the Company (www.summitsecurities.net), BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and National Securities Depository Limited (www.evoting.nsdl.com).

Detailed procedure for attending the AGM and voting through remote e-Voting and e-Voting during the AGM is being provided in the notice of the AGM. Further, members who have not registered their email addresses can also attend the AGM and vote by following the procedure mentioned in the notice of the AGM. The members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The members of the Company who have not registered their email address can register the same as per the following procedure:

 The members holding shares in physical form may get their email addresses registered with the Company's RTA i.e. TSR Darashaw Consultants Private Limited at csg-kyc@tcplindia.co.in by sending a request letter duly signed by first holder thereby providing details such as Name. Folio No., share certificate (front and back), self-att copy of PAN card, self-attested copy of Aadhar Card, mobile number and e-mail ID.

The members holding shares in demat form may get their email address permanently registered with their respective Depository Participant(s). For receiving soft copy of Annual Report of FY 2020-21 and Notice of 24 AGM, such members may send an email to investors@summitsecurities.net alongwith their details such as Name of shareholder.
DPID/Client ID, PAN and mobile number.

Place: Mumbal Date: August 25, 2021 Jiya Gangwani Company Secretary

Manaksia

Read. Office: Turner Morrison Building, 6 Lyons Range Mezzanine Floor, North-West Corner, Kolkata - 700 001 Phone No.: +91-33-22310055; Fax No.: +91-33-22300336 l: investor.relations@manaksia.com; Website: www.manaksia.com Corporate Identity Number: L74950WB1984PLC038336

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS REGARDING 37TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 37th (Thirty Seventh) Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") on Tuesday, 21st September, 2021 at 12:30 P.M. (IST), in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations, 2015') read with General Circular No. 20/2020, 14/2020, 17/2020 and 02/2021 dated 5th May, 2020, 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 13th January, 2021 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs and also SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 (collectively referred to as 'Relevant circulars') to transact the businesses set out in the notice calling AGM, without the

Members are hereby informed that in compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the Annual Report for the FY 2020-21 have been sent electronically on 25th August, 2021 to all the members of the Company whose email addre with the Company/Depository Participants.

physical presence of the Members at a common venue.

The Resolutions covered in the Notice of the 37th AGM will be transacted through remote e-voting (facility to cast vote from a place other than the venue of the AGM) in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2014 Secretarial Standards- 2 on General Meetings and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. National Securities Depository Limited ('NSDL') has been engaged by the Company for providing the e-voting platform The e-voting facility will also be available at the AGM and members who have not cast their votes by remote e-voting and are otherwise not debarred from doing so, will be able to vote at the AGM.

Members, whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Tuesday, the 14th September, 2021 will be entitled to cast their votes either by remote e-voting or through e-voting at the AGM. A person who is not a Member as on the cut-off date should accordingly treat the Notice of the AGM for information purposes only. Persons becoming Members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM but on or before the cut-off date may write to NSDL at evoting@nsdl.co.in or kolkata@linkintime.co.in requesting for user ID and password for remote e-voting. Members already registered with NSDL for remote e-voting can however use their existing use

ID and password for this purpose. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the Listing Regulations, 2015, the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, the 15th September, 2021 to Tuesday, the 21st September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 37th AGM of the Company.

The period for remote e-voting starts at 09:00 a.m. on Friday the 17th September, 2021 and ends at 05:00 p.m. on Monday, the 20th September, 2021, thereafter the remote e-voting will be blocked by NSDL. Further, once the vote on a resolution is cast by the member, the same shall not be allowed to be changed subsequently. Members who have casted their votes by remote evoting may attend the meeting but will not be entitled to cast their votes at the meeting once again.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting/e-voting during the AGM.

In case of any query / grievance with respect to Remote

E-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and Remote E-voting User Manual for Shareholders available under the Downloads section of NSDL's e-voting website or contact (a) Mr. Amit Vishal, Senior Manager / Ms. Pallavi Mhatre, Manager

NSDL, Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai-400 013 at telephone no. 022 - 24994360 / 022 - 24994545 or toll free no. 1800 - 222 990 or at E-mail ID: evoting@nsdl.co.in.

(b) Mr. Pradip Kumar Kandar, Company Secretary, Manaksia Limited, Turner Morrison Building, 6 Lyons Range, Mezzanine Floor, Kolkata - 700 001 at telephone nos. 033-22310055 or e-mail at investor.relations@manaksia.com.

The Results of voting will be declared within two working days from the conclusion of the 37th AGM. The declared Results alongwith the Scrutinizer's Report will be available forthwith on the Company's corporate website www.manaksia.com and on NSDL's e-voting website. Such Results will also be forwarded by the Company to the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE).

The Notice of the 37th AGM and Annual Report for the Financial Year 2020-21 are available on the Company's corporate website (www.manaksia.com), NSDL's e-voting website www.evoting.nsdl.com) and on the websites of National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com).

BY ORDER OF THE BOARD For Manaksia Limited

Place: Kolkata

Pradip Kumar Kanda Company Secretary

Ve wish to inform you that pursuant to Section 124(5) and (6) of the Companies Act 2013, Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules 2016 (including any statutory modification(s), enactments(s) thereof for the time being in force) (hereinafter referred to as 'IEPF Rules') available on the website of Ministry of Corporate Affairs at www.iepf.gov.in has inter-alia, specified the manner for transfer of Unclaimed/Unpaid Dividend along with the shares in respect of which dividend is unpaid or unclaimed for a period of seven years to Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government.

KEI INDUSTRIES LIMITED

Read, Office: D-90, Okhla Industrial Area, Phase - 1 New Delhi - 110020 CIN: L74899DL1992PLC051527. Tel.: +91-11-26818840, 26818642, 26815558, 26815559. Fax: +91-11-26811959, 26817225. Email: info@kei-ind.com Website: www.kei-ind.com NOTICE FOR COMPULSORY TRANSFER OF UNPAID / UNCLAIMED DIVIDEND & EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)

Unpaid / Unclaimed dividend for the financial year 2012-13 and shares on which dividend has not been claimed for seven consecutive years i.e. from financial year 2012-13 has already been deposited/transferred to Investor Education and Protection Fund. Shareholders who have not claimed their dividend for a period of seven years i.e. for the financial year 2013-14 and shares on which dividend has not been claimed for seven consecutive years i.e., from the financial year 2013-14 is(are) liable to be transferred to IEPF as provided under the Companies Act, 2013 read with IEPF Rules. Further, those shareholders whose email ids are not registered may get their email ids registered with Company / Company's Registrar and Share Transfer Agent by sending mail to cs@kei-ind.com or info@masserv.com.

n compliance to the provisions of IEPF Rules read with Secretarial Standard on Dividend (SS-3), the Company has uploaded details i.e. name and Folio No./DPID-CLID of such shareholders whose dividend and shares are due for transfer to IEPF on ts website http://www.kei-ind.com under Investor Relation Section and the Company shall initiate transfer of shares to IEPF in respect of which dividend stands unclaimed for a consecutive period of seven years starting from the financial year 2013-14 and ransfer of unpaid / unclaimed dividend for the financial year 2013-14 to IEPF

We would further like to state that future dividend / benefits, if any, in respect of share: so transferred shall also be credited to the IEPF.

After the shares and dividend transferred to the IEPF, the claimant can claim those shares and dividend in accordance with the procedure and on submission of necessary orms and documents to the IEPF Authority. You are also hereby informed that afte transfer of shares and dividend to IEPF, no claim shall lie against the Company/RTA. IEPF Rules and web-form IEPF-5 for claiming Refund of shares and dividend are available on the website of Ministry of Corporate Affairs at www.iepf.gov.in)

n view of above, you are once again requested to claim your Unclaimed/Unpaid dividend, if any immediately on or before 21st September, 2021 by submitting the application along with a self-attested copy of PAN card, original cancelled cheque address proof, client master certificate issued by the depository participant and the original uncashed dividend warrant (if any) or a duly filled indemnity bond on plain paper available on the website of our RTA at www.masserv.com to M/s Services Limited, (Company's Registrar and Transfer Agent), having its registered office at T-34. Ind Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 or at the registered office of the Company, D-90, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 with a copy marked at the e-mail <u>cs@kei-ind.com</u> and <u>info@masserv.com</u> failing which the Company shall transfer these shares to IEPF without further notice, upon which the original share certificate(s) shall automatically stand cancelled and be deemed nonnegotiable. If your shares are held in Dematerialization mode, the same shall be ransferred to Demat account of IEPF in the manner specified in IEPF Rules.

In case you have any queries on the subject matter, you may contact our Registrar and

M/s. MAS Services Limited, wis. was services Limited. T-34 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020, Tel.: 011-26387281-83, FAX: -011-26387384,

E-mail: - info@masserv.com For KEI INDUSTRIES LIMITED

Date: 25.08.2021 Place: New Delh

AVP(Corporate Finance) & Company Secretary



Regd. Office: Turner Morrison Building, 6 Lyons Range, 1st Floor, Kolkata - 700 001

Phone No.: +91-33-2231 0055; Fax No.: +91-33-2230 0336 Email: infomsl@manaksia.com; Website: www.manaksiasteels.com Corporate Identity Number: L27101WB2001PLC138341

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS **REGARDING 20TH ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that 20th (Twentieth) Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") on Tuesday, 21st September, 2021 at 03:00 P.M. (IST), in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations, 2015') read with General Circular No. 20/2020, 14/2020, 17/2020 and 02/2021 dated 5th May, 2020, 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 13th January, 2021 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs and also SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 read with Circular No. SEBI/HO/CFD CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 (collectively referred to as 'Relevant circulars') to transact the businesses set out in the notice calling AGM, without the physical presence of the Members

Members are hereby informed that in compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the Annual Report for the FY 2020-21 have been sent electronically on 25th August, 2021 to all the members of the Company whose email addre with the Company/Depository Participants.

The Resolutions covered in the Notice of the 20th AGM will be transacted through remote e-voting (facility to cast vote from a place other than the venue of the AGM) in terms of Section 108 of he Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2014, Secretarial Standards- 2 on General Meetings and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015. National Securities Depository Limited ('NSDL') has been engaged by the Company for providing the e-voting platform. The e-voting facility will also be available at the AGM and members who have not cast their votes by remote e-voting and are otherwise not debarred from doing so, will be able to vote at

Members, whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Tuesday, the 14th September, 2021 will be entitled to cast their votes either by remote e-voting or through e-voting at the AGM. A person who is not a Member as on the cut-off date should accordingly treat the Notice of the AGM for information purposes only. Persons becoming Members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM but on or before the cut-off date may write to NSDL at evoting@nsdl.co.in or kolkata@linkintime.co.in requesting for user ID and password for remote e-voting. Members already registered with NSDL for remote e-voting can however use their existing user ID and password for this purpose.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act 2013 and Regulation 42 of the Listing Regulations, 2015, the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, the 15th September, 2021 to Tuesday, the 21st September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 20th AGM of the Company.

The period for remote e-voting starts at 09:00 a.m. on Friday, the 17th September, 2021 and ends at 05:00 p.m. on Monday, the 20th September, 2021, thereafter the remote e-voting will be blocked by NSDL. Further, once the vote on a resolution is cast by the member, the same shall not be allowed to be changed subsequently. Members who have casted their votes by remote evoting may attend the meeting but will not be entitled to cast their votes at the meeting once again.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting/e-voting during the AGM.

In case of any query / grievance with respect to Remote E-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and Remote E-voting User Manual for Shareholders available under the Downloads section of NSDL's e-voting website or contact

(a) Mr. Amit Vishal, Senior Manager / Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai-400 013 at telephone no. 022 – 24994360 / 022 – 24994545 or toll free no. 1800 – 222 – 990 or at E-mail ID:Ê evoting@nsdl.co.in.

(b) Mr. Ajay Sharma, Company Secretary, Manaksia Steels Limited Turner Morrison Building, 6 Lyons Range, 1st Floor, Kolkata – 700 001 at telephone nos. 033-22310050 or e-mail at

infomsl@manaksiasteels.com. The Results of voting will be declared within two working days from he conclusion of the 20th AGM. The declared Results alongwith the Scrutinizer's Report will be available forthwith on the Company's

corporate website www.manaksiasteels.com and on NSDL's e-voting website. Such Results will also be forwarded by the Company to the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE). The Notice of the 20th AGM and Annual Report for the Financial

Year 2020-21 are available on the Company's corporate website (www.manaksiasteels.com), NSDL's e-voting website (www.evoting.nsdl.com) and on the websites of National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com). By ORDER OF THE BOARD

For Manaksia Steels Limited

Ajay Sharma Place: Kolkata Company Secretary

5 1 8

6 1 9 2

1 7 6 3 4 9 2 5

5 7 1 3 6 9

3 7 9

8 4 2

4 | 8 | 7

8

Medium *** Solution

tomorrow

HOW TO PLAY Fill in the grid so that every row, every column and every 3x3 box contains the digits 1 to 9

4

8

2

events are very much on and experience of assessing officer post the lockdown, we have in dealing with specific subnoticed that everyone is lookjects, the revenue department ing for more light-hearted conis evaluating whether such cases should be dealt by an tent where they can socialise and have a good time rather expert team or empower other assessing officers," said anoththan the heavier intellectual events for now." He adds that there's also been a sense of Taxpayers can also face fatigue around virtual events,

language barriers while explaining their cases to an assessing officer in another part of the country. "The department is considering if cases can continue to be faceless but can be dealt by officers who are well-versed with the language and other local challenges, even if they are based in other cities of the state" he explained.

Bhargava, Venu...

Passenger vehicle volumes in FY21 were the lowest since 2015-16; two-wheeler volumes

the lowest since 2014-15. Sales of commercial vehicles in FY21 were the worst in 11 years; for three-wheelers, they were the lowest in 19 vears. Siam blamed the increased cost of ownership due to the high goods and services tax (GST) and a hike

in road tax as the killjoys. Srinivasan echoed Bhargava, saying while India's two-wheeler industry is the largest in the world and largely considered a common man's mode of transport, the GST rates are similar to those for

"The price of the moped has gone up 45-50 per cent. The GST on two-wheelers is the same as a luxury-level product. Is the auto sector being recognised for what it has contributed to the environment, to revenue, and to foreign exchange earnings? That is the question R C Bhargava has raised," said Srinivasan.

When his turn came, Bajaj asked if taxation was the reason why industry growth was impeded. "I want to understand, before GST came, what was the taxation structure in large auto markets? Was the taxation structure any lesser? I think it might have been a little higher. We can't decrease taxes without knowing whether that will actually lead to a corresponding increase in auto sales," he said.

He pointed out that the sales of sport utility vehicles (SUVs) are rising when sales in other segments are not. "I am keen to understand the reason behind the fall in numbers after 2017-18 for a sector that promised high growth a few years back," said Bajaj, adding More on business-standard.com

that if taxes are reduced, it will force the government to borrow more. This can have a negative impact on the macroeconomy. "A 360-degree view must be taken before making a decision," said Bajaj

Bhargava retorted saying the growth of SUV as a metric is not the correct way since most buyers prefer entry-level models whose prices have gone up by ₹45,000-50,000 due to the new safety and emission norms, rising insurance, and road tax.

This is the second time that a difference in opinion between the industry and the government has arisen year, Shekar Viswanathan, former vice-chairman of Toyota Kirloskar Motor, had said the government keeps taxes on cars and motorbikes so high that his company finds it difficult to expand.

But the finance ministry countered saying auto companies should reduce royalty payments to parents abroad instead of seeking tax cuts.

FM asks PSBs...

Between October 2019 and March 2021, ₹4.94 trillion worth of loans were distributed.

The government's push comes at a time when credit growth is hovering around 6 per cent due to risk aversion by lenders as well as borrowers. As corporates are deleveraging and moving to capital markets for their funding requirements, banks have focused on the retail segment to boost credit off-take. However, after the second wave of the Covid-19 pandemic, stress in the retail segment has increased.

The finance minister said banks had been asked to interact with export promotion agencies and industry and commerce bodies so that the requirements of exporters could be timely addressed. PSBs should extend assistance to the sunrise sectors by understanding their financial requirements, she said. Further, banks should

come up with specific plans for the northeast states. In eastern states like Bihar, Jharkhand, and West Bengal where CASA (current account savings account) deposits are piling up, she asked banks to focus on greater credit expansion so that the fund flow to business units in that region could be better promoted.

फुर्लटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

एतद्द्वारा बड़े स्तर पर सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अन्य सह—ऋणियों के संहित मृतक ऋणी मोहम्मद शाहिद ने अचल संपत्ति बियरिंग "अचल संपत्ति नं एक्स / 3601, प्लॉट नं. 3, खसरा नं. 112, गली नं. 1, ज्ञान मोहल्ला, धर्मपुरा, गांधी नगुर, गांव सीलमुपुर, शाहदरा, दिल्ली 11,0031 के सभी भाग व पासल ("प्रतिभूतित नगर, गांच सारानपुर, राहबरा, विरक्षा 110031 के सभा माग व पासला (आग्रीस संपित्ता') पर फुलेंटन इंडिया केंडिट कंपनी लिमिटेड ('अतिभूतित ऋग्यदाता') से रु 1,11,00,000 /— (रुपए एक करोड़ ग्यारह लाख केवल) की वित्तीय सहायता ली थी 1,11,00,000/ — (रुपए एक कराड़ 'यारह लाख कवल) का ावरताय राहायरा ला बा। चूंकि, पुनर्युगतान में असफल होने के कारण, उक्त ऋण खाते को एनपीए घोषित किया या है और सरफेसी प्रक्रियाएं उक्त प्रतिभूतित संपत्ति पर शुरू की जाएगी। जबिक, उक्त ऋणी नाम मोहम्मद शाहिद की आकस्मिक मृत्यु के बारे में प्रतिभूतित ऋणदाता को पता चला और प्रतिभूतित् ऋण्याता के प्रयासों के बावजूद, उक्त मृतक ऋणी के कानूनी वारिसों की पहचान को नहीं खोजा जा सका है।

इस प्रकार वर्तमान सार्वजनिक सूचना के द्वारा, मृतक ऋणी नाम मोहम्मद शाहिद के कानूनी वारिसों से एतद्द्वारा इस प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर सभी आवश्यक और समर्थित दस्तावेजों के साथ अपनी पहचान के बारे में लिखित में अधोहस्ताक्षरी को कब्जा लेना और इसकेबाद इसके बकाया देयों की वसूली के लिए उसकी प्रभावी बिक्री

स्थान : दिल्ली दिनांक : 26.08.2021

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी फूर्लटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड Ujjawal.Chaudhary@fullertonindia.com



punjab national bank
...the name you can BANK upon!

मण्डल शस्त्रा केन्द्र, नोएडा, एसएच-12, प्रथम तल, गामा शॉपिंग सेन्टर-गामा- ।, ग्रेटर नोएडा-201308, जिला गौतम बुद्ध नगर, फोन : 0120-2322667, ई-मॅल : cs8290@pnb.co.in

नियम — 8 (1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेत्) जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 के तहत पंजाब नेशनल बैंक क प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित घारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों 🖊 गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया थो, जिसमें उक्त सूचना की तिथि

से 60 दिनों के अन्दर भूगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ताओं 🖊 गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा. उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4), उक्त नियमों के नियम 8 के

सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन—देन पंजाब नेशनल बैंक के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीम

पग र	जार आकाषत किया जा	अचल सम्पत्तियों का विवरण		
丣.		सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख	बकाया राशि
सं. के नाम		सन्पाराया का विवरण	कब्जा सूचना की तारीख	(फ. में)
1	मैसर्स किशन चंद	सम्पत्ति का वह समस्त माग एवं अंश जोकि भूमि एवं भवन जोकि	06-01-2021	₹
	एण्ड कम्पनी	प्लॉट नं. 15, खसरा नं. 1994, क्षेत्रफल 679.08 वर्ग गज, नगर		2,49,20,953.72
ı		पालिका हापुड़, मोहल्ला गढ़ रोड़, रेलवे क्रॉसिंग के पास, दिल्ली		और होने वाला ब्याज
	कुमार गोयल)	गढ़ रोड़, जिला हापुड़ (यू.पी.) में स्थित		

दिनांक 21.08.2021, स्थान : नोएखा, ग्रेटर नोएखा

SBFC

एसबीएफसी फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड (पूर्ववर्ती स्माल बिज़नेस फिनक्रेडिट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यातयः- यूनिट नं. 103, प्रथम तल, सीएंडबी स्क्वेयर, संगम कॉम्पलैक्स, गांव चकला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई-400059

मांग सूचना

जबिक अधोल्लिखित कर्जदारों / सह–कर्जदारों ने रिलाइंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ("आरसीएफएल") से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। डीड ऑफ एसाइनमेंट दिनांकित 19 फरवरी, 2019 के अनुसरण में आरसीएफएल ने वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य अधिकारों को सिक्यूरटाईजेशन ट्रस्ट (इंडियन रिसीवेअल टरर—19—फरवरी—2019) के पक्ष में हस्तांतरित और एसाइन कर दिया। आगे सिक्यरटाईजेशन टरर ने अंतर्निहित प्रतिभतियों के प्रवर्तन सहि सभी ऐसी कार्रवाई करने के लिए एसबीएफसी फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड को नियुक्त किया। हम बताते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद कर्जदारों / बंधककर्ताओं ने नियत तिथियों के अनुसार ब्याज व मूलधन राशियों के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूकें की हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार अधोल्लिखित तारीखों को खाते को अनर्जक आस्ति वर्गीकृत कर दिया गया है, फलस्वरूप प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफासी अधिनियम") के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर यहाँ नीचे उह्लिखित संबंधित तारीखों को मांग सूचनाएं जारी की थी जिसमें निम्नलिखित कर्जदारों / बंधककर्ताओं से सूचनाओं में उल्लिखित राशियों को सूचना में उल्लिखित राशियों पर भुगतान की तारीख तक अनुबंधित दर से आर की ब्याज और प्रासंगिक ब्ययों, लागत, प्रभारों आदि सहित सूचनाओं की प्राप्ति तारीख से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने के लिए कहा।

वनके अंतिम बात पतों पर बनको लारी सबनाएं बिना सपर्ट हुए वापस और आई और एतटदारा बस सबना के बारे में वे सार्वजनिक सबना दारा सबित

किए जाते हैं।									
कर्जदार का नाम/पता	सूचना और	ऋण सं. और	प्रत्याभूत परिसंपत्तियों						
और ट्रस्ट का नाम	एनपीए की तारीख	बकाया राशि	का विवरण						
1. शीतल गौर,	सूचना की	ऋण खाता नं.	गाँव सरहौल, चकरपुर, सलोखरा, कन्हाई और						
 एमएनसी प्रोबिल्ड प्रा. लि., 	तारीखः	RLLPDEL000332832	बजीराबाद जिला गुडगाँव, हरियाणा—122002						
3. नरेश गौर, 4. रमेश गौर	31 मई, 2021	(PR00704524)	में और इसके आस-पास सुशांत होम स्कीम्स,						
मकान नं. क्यू 5/12, डीएलएफ		ऋण राशिः रु. 11200000/—	"सुशांत लोक—1" नाम से ज्ञात, में संपत्ति						
फेज २, गुडगांव, हरियाणा—122002	एनपीए की	(रुपये एक करोड़ बारह लाख मात्र)	फ्लैट नं. 61, प्रथम व द्वितीय तल, डुप्लेक्स						
5. गॉडफांदर,	तारीखः	बकाया राशिः रु. 12473419/-	जीजीएन., माप 185.43 वर्ग मीटर अर्थात्						
206, पालिका बाजार, क्नाट पैलेस,	31 मार्च, 2021	(रुपये एक करोड़ चौबीस लाख	1996 वर्ग फुट, ब्लॉक-ई, प्लॉट माप 250 वर्ग						
नई विल्ली, विल्ली—110001			गज पर, के समस्त भाग व खंड और सीमाएँ निम्नवत्:— पूर्व—ई—62,पश्चिम—ई—60, उत्तर—						
ट्रस्ट का नामः इंडियन रिसीवेअल ट्रस्ट—19—फरवरी—2019		दिनांक 29 मई, 2021 को	निम्नवत्:— पूव—इ—62,पश्चम—इ—60, उत्तर— रोड, दक्षिण—जमीन						

सुबना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर सुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है, अन्यथा इस सूबना प्रकाशन के 60 दिनों के बाद सरफासी अधिनियम और इसके लागू नियमों के तहत कर्जदारों और बंधककर्ताओं की प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कब्जा लेने सहित प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध आगे की

कृपया नोट करें कि सरफासी अधिनियम की धारा 13(13) के तहत कोई भी कर्जवार प्रत्याभूत ऋणदाता की बिना लिखित अनुमति के इस सूबना में उल्लिखित अपनी प्रत्याभृत परिसंपत्तियों को बिक्री, पद्टे या अन्य किसी तरीके से इस्तांतरित नहीं करेंगे।

स्थानः गुडगाँव दिनांकितः 28 अगस्त, 202

प्राधिकृत अधिकारी, एसबीएफसी फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड

SBFC

एसबीएफसी फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड (पूर्ववर्ती रमाल बिज़नेस फिनक्रेडिट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालयः— यूनिट नं. 103, प्रथम तल, सीएंडबी स्क्वेयर, संगम कॉम्पलैक्स, गांव चकला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई-400059

मांग सूचना जबकि अधील्लिखित कर्जदारों / सह–कर्जदारों ने रिलाइंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ("आरसीएफएल") से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। डीड ऑफ एसाइनमेंट दिनांकित 19 फरवरी, 2019 के अनुसरण में आरसीएफएल ने वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य अधिकारों को सिक्यूरटाईजेशन ट्रस्ट (इंडियन रिसीवेअल ट्रस्ट-19-फरवरी-2019) के पक्ष में हस्तांतरित और एसाइन कर दिया। आगे सिक्यूरटाईजेशन ट्रस्ट ने अंतर्निहित प्रतिभूतियों के प्रवर्तन सहित सभी ऐसी कार्रवाई करने के लिए एसबीएफसी फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड को नियुक्त किया। हम बताते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद कर्जदारों / बंधककर्ताओं ने नियत तिथियों के अनुसार ब्याज व मूलधन राशियों के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूकें की हैं। भारतीय रिज़र्व बँक के दिशा–निर्देशों के अनुसार अधोटलखित तारीखों को खाते को अनर्जक आस्ति वर्गीकृत कर दिया गया है, फलस्वरूप प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के

नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर यहाँ नीचे उल्लिखित संबंधित तारीखों को मांग सचनाएं जारी की थी जिसमें निम्नलिखित कर्जदारों / बंधककर्ताओं से सचनाओं में उल्लिखित राशियों को सचना में उल्लिखित राशियों पर भगतान की तारीख तक अनुबंधित दर से आगे की ब्याज और प्रासंगिक ब्ययों, लागत, प्रभारों आदि सहित सुचनाओं की प्राप्ति तारीख से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने के लिए कहा। उनके अंतिम ज्ञात पतों पर उनको जारी सूचनाएं बिना सुपुर्द हुए वापस लौट आई और एतद्द्वारा उस सूचना के बारे में वे सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित

प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफासी अधिनियम") के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के

147 310 61					
कर्जदार का नाम/पता और ट्रस्ट का नाम	मांग सूचना और एनपीए की तारीख	ऋण सं. और बकाया राशि	प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का विवरण		
1. अनीता अजय फोगाट 2. वरुण फोगाट, फलैट नं. ३, मकान नं. 72, गली नं. 2, कृष्णा नगर, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली, दिल्ली—110029 दूस्ट का नामः इंडियन रिसीवेअल ट्रस्ट—19— फरवरी—2019	सूचना की तारीखः 31 मई, 2021 एनपीए की तारीखः 15 अप्रैल, 2021	ऋण खाता नं. RLLSDEL000379708 (PR00705478) ऋण राशिः रु. 10000000 /— (रुपये एक करोड़ मात्र) बकाया राशिः रु. 11151278 /— (रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख इक्यावन हजार दो सौ अठहत्तर मात्र) दिनांक 29 मई, 2021 को ऋण खाता नं. RLLSDEL000379701 (PR00705634) ऋण राशिः रु. 2500000 /— (रुपये पच्चीस लाख मात्र) बकाया राशिः रु. 2744012 /— (रुपये पत्ताईस लाख चौबालीस हजार बारह मात्र) दिनांक 29 मई, 2021 को	संपत्ति नं. 71, माप 180 वर्ग गज, खसरा नं. 25, गाँव हुमांयुपुर, गली नं. 3, कृष्णा नगर, गवर्नभेंट स्कूल, दिल्ली–110029 के समस्त भाग व खंड।		

उपरोक्त परिस्थितियों में उपर्युक्त कर्जदारों, सह–कर्जदारों को एतद्द्वारा ऊपर उल्लिखित बकाया राशि को भविष्य की व्याज और लागू प्रभारों सहित इस सुचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है. अन्यथा इस सुचना प्रकाशन के 60 दिनों के बाद सरफासी अधिनियम नियमों के तहत कर्जदारों और बंधककर्ताओं की प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कब्जा लेने सहित प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध आगे की

कृपया नोट करें कि सरफासी अधिनियम की धारा 13(13) के तहत कोई भी कर्जदार प्रत्यामृत ऋणदाता की बिना लिखित अनुमति के इस सूचना में उल्लिख अपनी प्रत्याभुत परिसंपत्तियों को बिक्री, पटटे या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरित नहीं करेंगे

हस्ता./-. (जोएल नादर) स्थानः दिल्ली

दिनांकितः 26 अगस्त, 2021

पाधिकत अधिकारी एसबीएफसी फाईनेंस पाईवेट लिमिटेड

नगर, जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, उत्तर प्रदेश,

गाजियाबाद, 201206, भारत

P muthoot

HOUSING FINANCE

मुथूट हाउसिंग फाइनैंस कंपनी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः टीसी नं. 14/2074-7, मुथूट सेंटर, पुन्नेन रोड, तिरुवनंतपुरम-695 034, कॉपोरेट कार्यालयः 12/ए 01, 13वीं मंजिल, परिणी क्रेसेन्जो, प्लॉट नं. सी 38 एवं सी 39, बान्द्रा कुर्ला

मांग सूचना पत्र नाः। सूचना अव वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन की घारा 13 (2) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन सूचना

कॉम्प्लेक्स-जी ब्लॉक (पूर्व), मुंबई-400051

पाठत प्रतिकृति हित प्रवर्तन अपिकारित हैं। हित प्रवर्तन अधिकारित हैं। वित्तीय परिसंपितों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिकारित हैं। वित्तीय परिसंपितों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित थारा 13(12) के अधीन प्रव अधिकारों के अनुसरण में, उन्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना पत्र जारी किया था जिसके तहत निम्नितिखित ऋणी, सह-ऋणी (ऋणियों), गारंठर (रों) को उन्हें जारी संबंधित सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर संबंधित मांग सूचना पत्र में वर्णित राशि चुकाने के लिए कहा गया था, जो यहाँ नीचे भी उस संबंध में दिया गया है। एतद्वारा उक्त ऋणी, सह-ऋणी आधीगों), गारंठर को फिर से सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंदर एमएचएफसीएल को नीचे वर्णित राशि और साथ में सह वर्णित तिथि से गुगतान/या वसूली न होने तक उक्त मांग सूचना पत्र में विस्तृत अनुसार 18% प्रति वर्ष की दर से आगे ब्याज के साथ चुकाएं जो कि उक्त ऋणी (ऋणियों)) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेज/तेखन, यदि कोई हो, के साथ पठित ऋण अनुसंध के अधीन देव है। ऋण की नियत राशि के मुगतान के लिए जमानत के रूप में क्रमशः उक्त ऋणी, सह-ऋणी (ऋणियों), गारंटर (रों) द्वारा एमएचएफसीएल के पास निम्नितिखत प्रतिमृति परिसंपित को गिरवी रखा गया है।

क्र. सं.	ऋणी/सह -ऋणी / गारंटर का नाम	मांग सूचना पत्र की तिथि	कुल बकाया राशि	प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों)/ अचल संपत्ति(यों) का विवरण
1	विजय शंकर, सरला देवी एलएएन सं. 15100003312	15/07/2021	रु.763210.76/- दि.09/07/2021 के अनुसार	फ्लैट सं. सी 0134, दूसरी मंजिल, ब्लॉक 18, टावर 19, दिनेश नगर, टावर 19, गाजियाबाद, 245304, भारत
2	प्रदीप कुमार शर्मा अनुराग शर्मा एलएएन सं. 15100073983	15/07/2021	रु.767831.96/- दि.09/07/2021 के अनुसार	हाउस सं. 8, गली सं. 1, खसरा सं. 54 2, आश्रम रोड शांति नगर नद ग्राम, उत्तर प्रदेश. गाजियाबाद, 201001 भारत
3	निसार अहमद, शामा प्रवीण एलएएन सं. 15100074549	15/07/2021	इ.1299949.49/- दि.09/07/2021 के अनुसार	हाउस सं. 550, कैला रोड, कैला भट्टा, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, 201009, भारत
4	विशाल वैद परकेश सिंह बबीता विशाल एलएएन सं. 15100084577	15/07/2021	इ.979422.62/- दि.09/07/2021 के अनुसार	खसरा सं. 0867 एमआई, गाँव-बिशोकर मरुर मोहल्ला- कृष्णपुरी, मोदी नगर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, 201204, भारत
5	रायसुद्दीन अहमद रिजवाना खातून राहिसुद्दीन अहमद एलएएन सं. 15100082173	15/07/2021	रु.1024387.72/- दि.09/07/2021 के अनुसार	खसरा सं. 1416/6, एमआई, मोहल्ला-कोटला मेवातिय- उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, 245101, भारत
6	दिनेश कुमार, कन्हैया लाल एलएएन सं. 15100071253	15/07/2021	रु.119757.21/- दि.09/07/2021 के अनुसार	खसरा सं. 214, ग्राम मवाई, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, 201009, भारत
7	दीपक भाटी, सुशीला भाटी एलएएन सं. 15100078850	15/07/2021	इ.750976.44/- दि.12/07/2021 के अनुसार	खसरा सं. 527, ग्राम देवाला, परगना तहसील दादरी ज बी नगर, उत्तर प्रदेश, गीतम बुद्ध नगर, 201306, भार
8	साहालम, नजरीन एलएएन सं. 15100070402	15/07/2021	र.174476.24/- दि.12/07/2021 के अनुसार	वार्ड सं. 03, प्लॉट सं. 17, ग्राम दसाना, मिरदोह वाला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201001, भारत
9	बाहिद खान सैफी, शहाना एलएएन सं. 15100069988	27/07/2021	रू.882408.02/- दि.26/07/2021 के अनुसार	पलैट सं. जीएफ 1, फ्रंट एलएचएस, प्लॉट सं. 69, सरस्वत नगर, दासना, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद. 201015, भार
10	पुष्पेन्द्र चौधरी सोहन वीर सिंह विलमा देवी सोहनवीर सिंह एलएएन सं. 15100068570	27/07/2021	रु.695039.39/- दि.26/07/2021 के अनुसार	प्लॉट सं. 150, सर्वे सं. 1559, कैलाशपरम कॉलोनी फे
11	साहब सैलाउदीन, जाल्लो सैलाउदीन एलएएन सं. 15100069111	27/07/2021	रु.173348.86/- दि.26/07/2021 के अनसार	हाउस सं. 397, खसरा सं. 773, वार्ड सं. 23, गौ सारंस, मुरुद नगर मोहल्ला आर्य नगर, रेलवे रोड, उत्तर मुर

यदि उक्त ऋणी उपरोक्तानुसार एमएचएफसीएल को भुगतान नहीं करते हैं, तो अधिनियम की धारा 13(4) एवं लागू नियमों के अधीन उक्त परिसंपत्तियों के विरुद्ध एमएचएफसीएल आगे की प्रक्रिया शुरू करेगी जो लागत एवं परिणाम की दृष्टि से संपूर्ण रूप से ऋणी, सह-ऋणी, गारंटर के जीखिम पर होगी। उक्त ऋणी, सह-ऋणी, गारंटर को उक्त अधिनियम के अधीन बिक्री या लीज द्वारा उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) को स्थानांतरित करने से रोका जाता है या अधिनियम के प्रावधानों या उसके अंतर्गत बने नियमों का उल्लंघन करने पर अधिनियम के अधीन प्रदत्त अनुसार कारावास और/या दंड पाने के दायी होंगे

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, कृते मुथूट हाउर्सिंग फाइनैंस कंपनी लिमिटेड स्थान : उत्तर प्रदेश, तिथि : 24.08.2021

पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएनः L74899DL1989PLC036849

पंजीकृत कार्यालयः सी-17/1, पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 -कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट न. 51, सेक्टर—32, गुरूग्राम—122001 (हरियाणा) PearlGlobal वेली: 0124-4651000; ई-मेल: investor.pgil@pearlglobal.com; वेबसाइट: www.pearlglobal.com

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 को 5:00 बजे अपराह्न, कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने योग्य प्रावधानों एवं उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से, एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त एमसीए परिपत्र एवं सेबी परिपत्र के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021 के साथ ही एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा उन सदस्यों को भेजी जाएंगी जिनका ई-मेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरीयों के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2020–2021 कम्पनी की वेबसाइट <u>www.pearlulobal.com</u> तथा स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.nseindia.com</u> पर भी उपलब्ध होगी। सदस्य केवल वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम में सम्मिलित होने के निर्देश एवं रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम के प्रयोजन हेत संगणित किया जाएगा।

हम उन सभी शेयरधारकों, जिन्होंने कम्पनी / डिपॉजिटरीयों के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, से आग्रह करते हैं कि बिना किसी व्यवधान के सभी संचार शीघ्र प्राप्त करने हेतु अविलंब ऐसा करें। अभिलेखों में सही ईमेल पते का अद्यतन करने से हमें आपके साथ प्रमावी ढंग से संवाद करने में मदद मिलेगी, विशेषकर इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान।

इस प्रयोजन हेतु, हम उन शेयरधारकों, जिन्होंने अपना ईमेल पता तथा परमानेंट अकाउंट नंबर अद्यतन नहीं किया है, से अनुरोध करते हैं कि कृपया नीचे दिए गए लिंक का अनुसरण करके एवं अपने पैन कार्ड/आधार/वैध पासपोर्ट/शेयर प्रमाण-पत्र की एक स्व-सत्यापित प्रति सहित अपने फोलियो संख्या / डीपी / क्लाइंट आईडी, प्रमाण-पत्र संख्या, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल पता का उल्लेख कर के अद्यातानित करें:

सदस्य के ईमेल आईडी और बैंक विवरण पंजीकरण की प्रक्रियाः

द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया का पालन करें।

डीमैट तौर पर कम्पनी के इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट मेसर्स लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html लिंक पर क्लिक करके एवं इसमें निर्देशित पंजीकरण प्रक्रिया का पालन कर अस्थायी रूप से पंजीकरण कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य मेसर्स लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर एक ईमेल भेज सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि आपके डीमैट खाते में ईमेल पते और बैंक विवरणों के स्थायी पंजीकरण हेत्, सदस्य अनुरोध है कि संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी ('डीपी') से संपर्क करें और डीपी

भौतिक तौर पर कम्पनी के इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने अपने ईमेल पता एवं/अथवा बैंक खाता विवरण पंजीकृत नहीं किया है, वे कम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट मेसर्स लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html लिंक पर क्लिक करके एवं इसमें निर्देशित पंजीकरण प्रक्रिया का पालन कर के कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य मेसर्स लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर एक ईमेल भेज सकते हैं।

उपरोक्त मामले पर किसी भी प्रश्न के सम्बन्ध में, कम्पनी के शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्न से संपर्क करें: मेसर्स लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट नंबर NH-2, C-1 ब्लॉक, LSC, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली -110058, दूरभाषः 011-49411000, टेलीफैक्सः 011-41410591, ईमेलः delhi@linkintime.co.in.

कते पर्ल ग्लोबल इंडस्टीज लिमिटेड हस्ता. /-

स्थान : गुरूग्राम दिनांक : 25 अगस्त 2021

हस्ता./-, (जोएल नादर)

मयंक जैन कम्पनी सचिव



नद्दवारा सूचित किया जाता है कि एजीएम के नोटिस में दिए गए अनुसार निर्धारित व्यवसाय को करने हेतु स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 49⁴ वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो दृश्य नाध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा दिनांक 28 सितंबर, 2021 को, 1030 बजे (आईएसटी) पर किया जाएगा।

49^{वीं} वार्षिक आम बैठक और ई—वोटिंग की सूचना

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के परिपत्रों की संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020 और 02/2021 दिनांक 8 अप्रैल, 2020,13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020 और 13 जनवरी, 2021 क्रमशः, और भारतीय प्रतिभृति विनियम बोर्ड के परिपत्र संख्या सेबी/HO/CFDKMD/CIR/P/2020/79 और सेबी/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 क्रमशः (जिन्हें सामूहिक रूप से "लागू परिपत्रों" के रूप में संदर्भित किया गया है) के अनुसार, एजीएम को, सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थित के बिना, वीसी /ओएवीएम के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत लागू नियमों के साथ पठित लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम का आयोजन, मेसर्ज नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरीज लिमिटेड द्वारा प्रदान वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जा रहा है। शेयरधारक/सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं जिनके विवरण एजीएम के नोटिस में प्रदान किए गए है। इसलिए, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सदस्यों का कंपनी की 49^ई एजीएम में व्यक्तिगत रूप से भाग लेना/सहभागिता करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वीसी /ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।

लागु परिपत्रों के अनुसरण में, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की एजीएम का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिटेड वित्तीय विवरण (समेकित वित्तीय विवरणों सहित) और इस पर ऑंडिटरों तथा बोर्ड की रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न किए जाने वाले अपेक्षित अन्य दस्तावेजों को, केवल इलेक्टॉनिक माध्यम से ऐसे शेयरधारको / सदस्यों को भेजा जाएगा जिन्होंने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) / कंपनी / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत की है। लागू परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020—21 के लिए कंपनी की 49^व एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट के नोटिस की कोई भी भौतिक प्रति, किसी भी शेयरधारक / सदस्य को, नहीं भेजी जाएंगी। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट**– <u>www.sail.co.in</u> और स्टॉ**क एक्सचेंज अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

ईमेल पता दर्ज / अद्यतन करने का तरीकाः

- (ए) कंपनी के भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले वे सदस्य, जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन कराने के लिए मेसर्ज MCS शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (RTA) से संपर्क करें। इसके लिए वे अपना नाम, फोलियो संख्या के विवरण और पैन कार्ड, आधार कार्ड और शेयर प्रमाणपत्र (ओं) की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न कर admin@mcsregistrars.com को भेज दें। आरटीए का पताः एफ -65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज- 1, नई दिल्ली -110020 है। फोन संख्या 011-41406149 है।
- (बी) डिमटेरियल रूप में कंपनी के इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे उस डीपी के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत / अद्यतन करें, जिनके पास उनका डीमैट खाता है।

ई—वोटिंग के द्वारा मतदान करने की विधिः

साथ ही सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूरस्थ ई—वोटिंग सूविधा प्रदान कर रही है ताकि वे एजीएम के नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम के दौरान उन सदस्यों को भी उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने पहले ई—वोटिंग के द्वारा

कंपनी ने अपने सदस्यों को ई—वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए "नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL)" की सेवाओं को, अधिकृत एजेंसी के रूप में, प्रयोग किया है। दूरस्थ ई–वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई–वोटिंग (एजीएम के दौरान नतदान) के विस्तृत निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।

ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल ईमेल के माध्यम से सदस्यों को उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं होते हैं या जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकत नहीं हैं, वे एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों के अनुसार लॉगिन क्रेडेंशियल सृजित कर सकते हैं।

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए भी उन्हीं लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जाना है।

जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते के विवरणों को अद्यतन नहीं किया है, वे निम्न प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:

- (ए) भौतिक रूप में कंपनी के इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्यः (i) सदस्य (ओं) के नाम, फोलियो संख्या, बैंक विवरण (बैंक खाता संख्या, बैंक और शाखा का नाम और पता. IFSC MICR विवरण) सहित हस्ताक्षरित अनरोध पत्र की स्कैन प्रति रद्द किए गए चेक का पन्ना); (ii) पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति; (iii) कंपनी के पास पंजीकृत सदस्य के पते के समर्थन में आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या चुनाव पहचान पत्र या पासपोर्ट की स्व-सत्यापित प्रतिय आरटीए को जमा करें।
- (बी) डीमैट रूप में कंपनी के इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्य, आवश्यकतानुसार, बैंक विवरण और अन्य दस्तावेजों के साथ अनरोध पत्र, अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास, प्रस्तत कर सकते हैं।

बही बंद और लाभांशः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागांश और एजीएम के भुगतान के उद्देश्य के लिए सदस्यों का रजिस्टर 22 सितंबर, 2021 से 28 सितंबर, 2021 (दोनों दिन शामिल) तक बंद कर दिया जाएगा। अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से इसकी घोषणा से 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर स्रोत पर आयकर (टीडीएस) की कटौती के अधीन भूगतान किया जाएगा, जिनके अदातन बैंक खाते के विवरण उपलब्ध हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट आदि का पंजीकरण न होने के कारण कंपनी इलेक्टॉनिक विलयरिंग सेवा या किसी अन्य माध्यम से किसी भी सदस्य को सीधे बैंक खाते में लाभांश का भगतान करने में असमर्थ है, तो कंपनी लाभांश वारंट / बैंकर चेक / डिमांड ड्राफ्ट ऐसे सदस्यों को निर्धारित समय के भीतर भेज देगी।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढें।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए

स्थानः नर्ड दिल्ली दिनांकः 25 अगस्त, 2021

कंपनी सचिव

हस्त /

(एम बी बालाकृष्णन)

पंजीकृत कार्यालय : इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 फोन : +91 11 24367481; फैक्स : +91 11 24367015 कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर : L27109DL1973GOI006454, वेबसाइट : www.sail.co.in

हर किसी की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल

ईमेलः info@masserv.com स्थानः नई दिल्ली

कृते केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवीपी (कॉरपोरेट फाइनैंस) एवं कंपनी सचिव

सार्वजनिक सूचना

सूचित करने का अनुरोध किया जाता है, असफल होने पर यह माना जाएगा कि मृतक र्करणी का कोई कानुनी वारिस नहीं है, जिसपर, प्रतिभृति ऋणदाता को प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2020 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के प्रियंताना नियंत्रावता, २०२० के तीव पाठत त्तरकृता जावानवन, २००२ के आवानाना के तहत सहित नियम के अनुपालन में प्रक्रिया शुरू करने और उक्त प्रतिमूर्तित संपत्ति पर इसके प्रतिभूति हित पर कब्जा करने की स्वतंत्रता होगी जिसमें उक्त प्रतिभृतित का करना शामिल होगा।



सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड CIN: L23201DL2001PLC174076 पंजी. कार्यालय: ई−20.साज्य एक्सटेंशन नई दिल्ली−110049 Ph: +91-120-6546670; E-mail id: towers@salasartechno.com Website: www.salasartechno.com

20वीं वार्षिक साधारण बैठक (20वीं एजीएम) की सूचना हम आपको बताते हैं कि सालासुर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड की 20वीं वार्षिक साधार बैठक (20वीं एजीएम) उक्त 20वीं एजीएम की सूचना में वर्णित व्यापार का लेन—देन करने के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी) या अन्य ऑडिया विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से शनिवार, 18 सितंबर, 2021 को सुबह 11.30 बजे आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए आपकी कंपनी की 20वीं एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए, आपसे कंपनी की वेबसाइट :

www.salasartechno.com देखने का अनुरोध हैं। www.salasariecnno.com दखन को अनुराध है। सेबी (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम 2015 के विनियम 44 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा व उसके अंतर्गत बने नियम के अनुपालन में, कंपनी ने अपने सदस्यों को रोंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा दी गई रिमोट ई—वोटिंग सेवाओं के माध्यम से लेन—देन किए जाने के लिए व्यापार और इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा वोट डालने अपने अधिकारर का प्रयोग करने की सुविधा दी है। शनिवार, 11 सितंबर, 2021 (कट—ऑफ डेट) तक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए डी

सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कोविड—19 महामारी के चलते, निगमित मामलों के मंत्रालय ने साधारण रिपत्र नं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड ('सेबी') अपने परिपन्न सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 और परिपन्न सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2020 आर पारपत्र स. SEBI/HO/CFD/CMD2/CHP/2021/11 | वनाक 15 जनवरा, 2021, परिपत्र सं. 20/2020 विनांक 05 मई, 2020 बनाया है जिसमे कंपनी को कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियों कांफ्रेसिंग (वीसी) और जन्य ऑडियो—विजुअल माध्यमीं (ओएवीएम) के माध्यम से साधारण परिपत्र सं. 14/2020, 08 अप्रैल, 2020 और साधारण परिपत्र नं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 में वर्णित तरीके में वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी है। तदनुसार, कंपनीज अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 आधानयम, 2013, सबा (सूचाबद्ध वयताए आर प्रकटाकरण आवश्यकताए) ावानयम, 2015 के प्रावधानों और विनियमों द्वारा जारी परिपत्र के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एमसीएम परिपत्र(यों)/सेबी परिपत्र के अनुपालन में, वार्षिक साधारण बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2020—21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट आपके डिपोजिटरी प्रतिमागी/कंपनी की शेयर हस्तांतरण एजेंट के

साथ रजिस्टर आपके ई—मेल पते पर इलैक्ट्रानिक मोड द्वारा दी जा रही है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि रिमोट ई—वोटिंग अवधि की शुरुआत बुधवार, 15 सितंबर, 2021 को सुबह 09.00 (भारतीय मानक समय) होती है और शुक्रवार, 17 सितंबर, 2021 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) को समाप्त होगी। शुक्रवार, 17 सितंबर, 2021 को शाम 5.00 बजे के बाद रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति नहीं जाएगी और ई—वोटिंग मॉड्यूल उपरोक्त अवधि के बाद सीड़ीएसएल द्वारा बंद कर दिए जाएंगे। एक बार एक् प्रस्ताव पर शेयरधारक द्वारा वोट डालने के बाद, शेयरधारकों को इसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई—वोटिंग के लिए निर्देश के संबंध में सदस्यों को सूचना का संदभ लें। इसके अतिरिक्त, कंपनीज अधिनियम्, 2013 की धारा 91 और सेबी (एलओडीआर) विनियम्

2015 के विनियम 42 के अनुपालन में, सदस्यों के रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तिकाए रविवार, 12 सितम्बर, 2021 से शनिवार, 18 सितम्बर, 2021 (दोनों दिन शामिल) वित्तीय वर्ष 2020—2021 के लिए लामांशु प्राप्त करने के लिए योग्य सदस्यों के निर्धारण और वार्षिक

—वोटिंग के संबंध में किसी पूछताछ या समस्या के मामले में, आप अक्सर पूछे जाने प्रश्-''एफक्यूज'') और हैल्प सेक्शन के तहत www.evotingindia.com में उपलब्ध ई—वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com ई-मेल करें। ने नुअल को संदर्भ से स्वर्ध है यो Telpuess. Brolling@cusilinia.com इन्स करें। हम आपसे ख्यान देने का अनुरोध करते हैं कि कंपनी से आपको मावी संचार इस ई-मेल से इलेक्ट्रानिक रूप में भेजे जाएंगे। कृपया अपने डिपोजिटरी प्रतिमागी के माध्यम से अपने डिपोजिटरी को अपने ई-मेल पते में परिवर्तन की सूचना दें। आपके रजिस्टर किए गए ई-मेल में कोई भी परिवर्तन होने पर, कृपया अपने डिपोजिटरी को अपडेट करें। किसी भी इ—तंत न कोई सा पारवत्त को ना पर, कृषवा अपना इत्यागिर्दर का अपेडट कर । कर्य पूछताछ के लिए, आप www.evotingindia.com के हैल्प सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए यूजर मैनुअल का संदर्भ लें या निम्नलिखित टॉल फ्री नंबर 18002005533 या

022—22728153 पर सीडीएसएल या कंपनी से संपर्क करें। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के लिए हस्ता. स्थान : नई दिल्ली (राहुल रस्तोगी)

दिनांक : 26 08 2021

केईआई इंडस्टीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः डी-90, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020

CIN: L74899DL1992PLC051527, बूरभाष: +91-11-26818840, 26818642, 26815558, 26815559। फैक्स: +91-11-26811959, 26817225 ई-मेलः info@kei-ind.com वेक्साइटः www.kei-ind.com कंपनी के अभुक्त/दावारहित लाभांश तथा इक्विटी शेयरों का इनवेस्टर एजूकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में अनिवार्य हस्तांतरण हेतु सूचना

हमलोग यह सचित करते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) तथा (6), इनवेस्टर एजकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (एकाउंटिंग, ऑडिट, टांसफर एवं रिफंड) नियम, 2016 (साथ में समय-समय पर लागू कोई भी संवैधानिक संशोधन, अध्यादेश) (जिसे यहां बाद में आईईपीएफ नियम कहा गया है), जो कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट <u>www.iepf.gov.in</u> पर उपलब्ध है. जिसमें अन्य विषयों के साथ सात वर्षों की अवधि के लिए अभुक्त अथवा दावा रहित लाभांश से संबंधित शेयरों के साथ दावारहित/अभक्त लाभांश के केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित इनवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में हस्तांतरण का प्रारूप निर्दिष्ट है।

वित्त वर्ष 2012-13 के लिए अभुक्त/दावारहित लाभांश तथा लगातार सात वर्षों के लिए यानी वित्त वर्ष 2012-13 से जिन शेयरों पर लाभांश का दावा नहीं किया गया है, उन्हें इनवेस्टर एजकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जमा/हस्तांतरित कर दिया गया है। जिन शेयरधारकों ने सात वर्षों की अवधि यानी वित्त वर्ष 2013-14 के लिए अपने लाभांश का दावा नहीं किया है तथा जिन शेयरों पर लगातार सात वर्षों यानी वित्त वर्ष 2013-14 से लाभांश का दावा नहीं किया गया है, उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित आईईपीएफ नियमों के अधीन आईईपीएफ में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

इसके अलावा, जिन शेयरधारकों के ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, ये <u>cs@kei-ind.com</u> अथवा info@masserv.com पर ईमेल भेज कर कंपनी/कंपनी के पंजीयक तथा शेयर अंतर एजेंट के साथ अपनी ईमेल आईडी का पंजीयन करा सकते हैं।

आईईपीएफ नियमों के प्रावधानों के साथ लागांश पर सचिविक मानक (एसएस-3) के अनुसार कंपनी ने अपनी वेबसाइट http://www.kei-ind.com के अधीन इवेस्टर रिलेशन सेक्शन में उन शेयरधारकों का विवरण यानी नाम तथा फोलियो नं./डीपीआईडी-सीएलआईडी अपलोड कर दिया है जिनके लाभांश तथा शेयर आईईपीएफ में हस्तांतरण किए जाएंगे तथा कंपनी उन शेयरों को आईईपीएफ में हस्तांतरण की पहल शुरू करेगी, जिनके लागांश वित्त वर्ष 2013-14 से आरम्भ कर लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए दावारहित है तथा वित्त वर्ष 2013-14 के लिए अभुक्त/दावारहित लाभांश को आईईपीएफ में हस्तांतरण की भी प्रक्रिया शुरु करेगी।

हमलोग यह भी बताना चाहते हैं कि हस्तांतरित किए जा चुके शेयरों से संबंधित भविष्य के लाभांश/ लाभों, यदि कोई हो, को भी आईईपीएफ के पक्ष में क्रेडिट कर दिया जाएगा।

शेयरों तथा लाभांश के आईईपीएफ में हस्तांतरण किए जाने के उपरांत, दावेदार पद्धति के अनुसार तथा आर्द्रपीएफ पाधिकारी के पास आवश्यक पपत्र तथा दस्तावेज जमा कर उन शेवरों तथा लाभांश का दावा कर सकते हैं। एतदद्वारा आपको यह भी सचित किया जाता है कि आईईपीएफ में शेयरों तथा लाभांशों के हस्तांतरण के उपरांत कंपनी/आरटीए के पास कोई भी दावा नहीं किया जा सकता है। शेयरों तथा लाभांश के रिफंड का दावा करने के लिए आईईपीएफ नियम एवं वेब-प्रपन्न कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है)।

ऊपरोक्त के मद्देनजर, आपसे पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि, मूल रद किया हुआ चेक, पता का साक्ष्य, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा जारी क्लाइंट मॉस्टर सर्टिफिकेट तथा मूल अभुक्त लाभांश वारंट (यदि कोई है) के साथ आवेदन जमा कर अथवा मैसर्स एमएएस सर्विसेस लिमिटेड (कंपनी के पंजीयक तथा अंतरण-एजेंट), पंजीकृत कार्यालय टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-II, नई दिल्ली-110020 से पास सादे कागज पर (हमारे आरटीए की वेबसाइट www.masserv.com पर उपलब्ध) भली भांति क्षतिपूर्ति बांड भर कर अथवा कंपनी के ांजीकृत कार्यालय, डी-90, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-I, नई दिल्ली-110020 के समक्ष 21 सितम्बर, 2021 अथवा उससे पहले अपना दावारहित/अमुक्त लाभांश, यदि कोई है, दावा अविलम्ब जमा करने का अनरोध किया जाता है साथ में उसकी **एक प्रति ईमेल cs@kei-ind.com तथा** info@masserv.com पर भी भेजें, अन्यथा कंपनी दोबारा कोई सूचना दिए संबंधित शेयरों को आईईपीएफ को हस्तांतरित कर देगी, जिसके आधार पर मूल शेयर सर्टिफिकेट स्वतः ही रद्द हो जाएंगे तथा अवेचनीय माना जाएगा। अगर आपका शेयर डिमैटरलाइजेशन प्रारूप में है, तो वह आईईपीएफ

इस विषय में अगर आपके पास कोई प्रश्न हो, तो आप पंजीयक तथा अंतरण एजेंट से सम्पर्क क सकते हैं। मैसर्स एमएएस सर्विसेज लिमिटेड

नियमों में उल्लेखित प्रारूप में आईईपीएफ के डिमेंट खाते में हस्तांतरित हो जाएगा।

टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 दूरभाषः 011-26387281, फैक्सः 011-26387384

दिनांक: 25 08 2021

साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तगर्त **निम्नलिखित दिनांकों को कब्जा** ले लिया है। उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन—देन न करें तथ